I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0025 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 19/07/2022 17:47 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS ACT,1975	10
2	REGISTRATION ACT, 1908	81
3	IPC 1860	120-B
4	IPC 1860	420
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 21/08/2017 **Date To (दिनांक तक):** 19/07/2022

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/07/2022 **Time (समय):** 15:05 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 019 **Date and Time (दिनांक और समय):** 19/07/2022 17:01 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 130 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला महेन्द्रगढ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Jai Chand

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/03/1966 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Udhina, SADAR NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Udhina, SADAR NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9466357877

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री रोहताश सिह तहसीलदार NNL			1. तत्कालीन तहसीलदार नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
2	रामकिशन		Father's Name: रोहताश	1. मेघनवास महेन्द्रगढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
3	प्रमोद नम्बरदार			1. महेन्द्रगढ ,MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबंधक अफसर थाना रा0चौ0ब्यूरो गुरुग्राम । विषय :- प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । 1. निवेदन है कि जांच क्रमांक 02 दिनांक 20.02.2018, नारनौल अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रामंक 62/78/2017-4 चौकसी – II दिनांक 13-2-2018 की अनुपालना मे महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठ क्रं0 2204/आई0-2/रा0चौ0ब्यू0(हरि0) दिनांक 21-02-2018 व पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम के डायरी न0 137 दिनांक 28-02-2018 अनुसार दर्ज रजिस्ट्रर करके शिकायत के आधार पर आरोपो की पडताल हेतू प्राप्त हुई थी ।

2. जांच मे आरोप था कि श्री रोहताश सिह तहसीलदार नारनौल जिसे तहसील कार्यालय महेन्द्रगढ तहसील का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, ने स्थानीय प्रोपर्टी डीलरो जिनमे रामकिशन उर्फ जीवन, वासी मेघनवास शामिल है से मिलीभगत करके 300 रुप्ये प्रतिगज बतौर रिशवत लेकर भारतीय स्टाम्प एक्ट न0 10 वर्ष 2000 के आर्टिकल 55 बी का हवाला देकर रिलीज डीड न0 1700, 1702, 1708, 1709, 1710, 1716, 1718, 1719 व 1720 दिनांक 21.08.2017 को सांय 6 बजे के बाद बनाकर उनको सेल डीड के रुप मे पंजीकृत कर दिया । इन सभी डीडो पर प्रमोद कुमार शर्मा नम्बरदार वासी महेन्द्रगढ के हस्ताक्षर है कुछ रजिस्ट्रीयो पर सांय 6 बजे के बाद हस्ताक्षर किये थे । सभी वसीकाओ की कुल जमीन 19 कनाल 8 मरला (23835 गज) बनती है जिसके 142 हिस्सेदार है व सभी के इस जमीन के एग्रीमैन्ट हुए थे जो रिलीज डीड की श्रेणी मे नही आते थे रजिस्ट्रीया डीड राईटरो द्वारा न लिखवाकर वकीलो द्वारा तैयार करवाकर कराई जाने बारे आरोप थे । जिस क्षेत्र मे उपरोक्त डीड पंजीकृत हुई वहां पर धारा 7-ए लगी हुई थी ।

3. आरोपी की पडताल के दौरान पाया गया कि रोहताश सिह तहसीलदार मार्च 2017 से अक्टूबर 2017 तक तहसीलदार नारनौल कार्यरत रहे तथा दिनांक 25.07.2017 को महेन्द्रगढ तहसीलदार का अतिरिक्त कार्यभार उपायुक्त महेन्द्रगढ द्वारा दिया गया । जिसने तहसीलदार महेन्द्रगढ का

अतिरिक्त कार्यभार रहते हुए दिनांक 21.08.2017 को वसीका न0 1699,1700,1702,1703,1704,1705,1707,1708,1709,1710,1711,1712, 1713, 1714,1715,1716,1717,1718,1719 व 1720 को रिलीज डीड इण्डिन स्टाम्प एक्ट की धारा 55 बी शडयुल 1-ए के अन्तर्गत पंजीकृत किया । इन वसीकाओ के साथ लगी जमा बन्दीयो मे जमीन की किस्म चाही दर्शाई हुई है जो कृषि योग्य भूमि की श्रेणी मे आती है रिहायशी क्षेत्र मे नही । वसीकाओ मे पैसे का लेन देन पूर्व मे किया हुआ दर्शाया हुआ है । ज्यादातर वसीकाये कम्पयुटर मे दर्ज करते समय उनका अन्तर भी 2/3 व 5 मिनट तक दर्शाया हुआ है तथा वसीकाओ का मजबून 2/3 मिनट मे कम्पयुटर मे दर्ज नही किया जा सकता । वसीका न0 1714 से 1720 तक मे रीलीजर एक व्यक्ति न बनाकर किसी मे 28 व्यक्तियो, किसी मे 30 व्यक्तियो व किसी मे 23 व्यक्तियो को रीलीजर दर्शाया हुआ है । इन उपरोक्त रीलीज डीड के बारे मे तहसील कार्यालय महेन्द्रगढ ने अपने कार्यालय के क्रमांक न0 805/आर.सी. दिनांक 11.9.2018 के अनुसार बतलाया कि ये रिलीज डीड आर्टिकल 55 बी की परिभाषा मे नही आती है तथा इस प्रकार के दस्तावेजो को पंजीकृत नही किया जा सकता ।

4. श्री रोहताश सिह तहसीलदार द्वारा उपरोक्त सभी वसीकॉए रिलीज डीड मे लिखे गए है तथा इन सभी दस्तावेजो मे अन्दर राशि के लेन देन का ब्यौरा लिका गया है जोकि रिलीज डीड नही बैयनामा ही बनते है । श्री रोहताश सिह तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.08.2017 को जब दस्तावेज पृजीकृत किये थे उस समय इन डीडस् मे वर्णित क्षेत्र मे धारा – 7 ए हुड्डा अधिनियम लागु थी ।

5. श्री देवेन्द्र सिहस्टाम्प ऑडिटर की रिपोर्ट न0 287-90/एस0ए0/2017 दिनांक 10.10.2017 के अनुसार वसीका न0 1699, 1700, 1702, 1703, 1704, 1716, 1717, 1718, 1719 व 1720 रिलीज डीड के माध्यम से कलेक्ट्र रेट से कम कीमत पर पंजीकृत की हुई है जिससे स्टाम्प डयुटी व रजिस्ट्रेशन फीस कुल 22,51,743 रुप्ये राजस्व की कमी पाई हुई है, जिनमे स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्रेशन फीस की चोरी की गई है । अपनी रिपोर्ट की टिप्पणी मे हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक का0आ0 62/के0ए0 2/1899/दा0 9/2014 दिनांक 16.06.2014 के अनुसार भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 55 अनुसूची-1ए के तहत रिलीज डीड पंजीकृत की जाये उनमे विरासत के दोनो इंतकाल नम्बर व फ्रिकेन के रिश्तो का स्पष्ट उल्लेख किये जाने तथा दोनो इंतकालो की नकले वसीका के साथ चश्पा किये जाने के निर्देशो की पालना करने का उल्लेख किया हुआ है जिससे सरकार को राजस्व हानि नही हो सके । परन्तु श्री रोहताश सिह तत्कालीन तहसीलदार महेन्द्रगढ ने जो उपरोक्त वसीकाये पंजीकृत की उनमे न तो दोनो इंतकालो की नक्ल है और नाही दोनो पक्ष के रिश्ते का स्पष्ट उल्लेख है । बल्कि उपरोक्त वसीकाओ मे पैसे का लेन देन दर्शाया हुआ है और रीलीजी व रीलीजर का आपस मे कोई खून का रिश्ता नही है । सभी रिलीजर अलग-अलग जातियो व गांवो के रहने वाले है जो स्टाम्प डयुटी एक्ट 1899 की धारा 55 ए व 55 बी की परिभाषा मे नही आते है । इसलिए ये वसीकाये रीलीज डीड ना होकर सेल डीड है ।

6. जांच मे यह पता चला कि वसीका न0 1716 के रीलीजर रामानन्द पुत्र उदमी राम व राहुल पुत्र बिरेन्द्र निवासी रसुलपुर ने उक्त प्लाटो के पहले ही रामकिशन के साथ इकरारनामा बैय किये हुये थे जिन्होने जांच मे अपने इकरारनामा बैय की स्वयं सत्यापित प्रतिया पेश की है । ईश्वर सिह पुत्र दलीप सिह ने प्लाट का ईकरारनामा रामकिशन के साथ किया था और उस प्लाट के ईकरारनामा बैय पर ममता पत्नी प्रवीणकुमार को बेच दिया था । इन्होने भी इकरारनामा बैय की स्वय सत्यापित प्रतिया पेश की है ।

7. रकबा माजरा खुर्द व सलीमाबाद मे वसीकाये रीलीज डीड के माध्यम से पंजीकृत की हुई है । उस जमीन के बारे मे रामकिशन उर्फ जीवन पुत्र रोहताश निवासी मेघनवास ने बिना लाईसेंस के अवैध कालोनी काटकर प्लाटो के रुप मे वसीका मालिको से पहले ही पैसे का लेन देन करके इकरारनामा बैय किये हुये है । उपरोक्त रीलीज डीडो पर प्रमोद कुमार नम्बरदार पुत्र ओमप्रकाश निवासी मोहल्ला खादी भण्डार नजदीक मोहनलाल जी मन्दिर महेन्द्रगढ ने बतौर रीलीजी व रीलीजर की पहचान हेतू अपने हस्ताक्षर किये हुये है । उसने इन रीलीज डीडो पर रामकिशन पुत्र रोहताश निवासी मेघनवास के कहने अनुसार अपने हस्ताक्षर किये थे । जांच मे यह पता चला कि रामकिशन उर्फ जीवन पुत्र रोहताश निवासी मेघनवास के पास कोई भी प्रोपर्टी डीलर का लाईसैंस नही है ।

8. श्री विक्रम सिह, उपमण्डल अधिकारी(नागरिक) महेन्द्रगढ द्वारा श्री रोहताल सिह तहसीलदार द्वारा की गई पंजीकृत वसीकाओ के सम्बन्ध मे हल्का गिरदावर व पटवारीयो से रिपोर्ट ली गई थी जांच का अवलोकन करने से पाया गया कि रोहतास तहसीलदार महेन्द्रगढ द्वारा पंजीकृत की गई सभी वसीकओ मे राजस्व रिकार्ड अनुसार कृषि योग्य भूमि(चाही) दर्शाई हुई है जो कृषि योग्य भूमि(चाही) के लिए जिला योजनाकार विभाग से एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य है ।

9. इस तरह श्री रोहताश सिह, तत्कालीन तहसीलदार नारनौल अतिरिक्त कार्यभार तहसील महेन्द्रगढ ने यह जानते हुये कि ये रीलीज डीड की श्रेणी मे नही है जान बुझकर अपने पद का दुरुप्योग करके तथा रामकिशन उर्फ जीवन पुत्र रोहताश निवासी मेघनवास प्रोपर्टी डीलर से व प्रमोद नम्बरदार महेन्द्रगढ से अपराधिक साजिश रचकर दिनांक 21.08.2017 को रीलीज डीड वसीका न0 1699,1700,1702,1703,1704,1716,1717,1718,1719 व 1720 आरटिकल 55 भारतीय स्टाम्प डयुटी एक्ट का हवाला देकर रीलीज डीड पंजीकृत करके अपराध धारा 420,120बी भा0द0स0 13(1) (डी), r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 81 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 व रामकिशन प्रोपर्टी डीलर ने, जहा धारा 7ए लगी हुई थी, बिना लाईसैंस के अवैध रुप से रिहायसी कलोनी के प्लाट काटकर अपराध 10 HDRU Act का किया जाना पाया गया है ।

10. श्री रोहताश सिह, तत्कालीन तहसीलदार नारनौल अतिरिक्त कार्यभार तहसील महेन्द्रगढ, रामकिशन उर्फ जीवन पुत्र रोहताश निवासी मेघनवास प्रोपर्टी डीलर व प्रमोद नम्बरदार महेन्द्रगढ के खिलाफ धाराधीन 420,120 बी भा0द0स0 13(1) (डी), r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 81 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 व HDRU Act के तहत अभियोग अंकित किये जाने का जांच अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया था तथा किसी अन्य व्यक्ति की संलिपत्ता पाई जाये तो उसे भी अभियोग के अनुसंधान के दौरान देख लिया जाने बारे सुझाव दिया गया था । मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 62/78/2017-4V-II दिनांक 24.05.2022 के अनुसार उपरोक्त आरोपियान के खिलाफ अभियोग दर्ज कराने के आदेश दिये गये है लिखित लेख पत्र क्रमांक 10393/आई-2/एस0वी0बी0(ह0) दिनांक 30.06.2022 अनुसार अनुमोदित होकर प्राप्त हो चुका है आरोपीयान रोहताश तत्कालीन तहसीलदार, जीवन उर्फ रामकिशन निवासी मेघनवास व प्रमोद लम्बरदार निवासी महेन्द्रगढ के खिलाफ अपराध 420, 120बी0 भा0द0स0 व 13(1)(डी) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 81 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 तथा 10 HRDU Act के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए लिखित लेख ई0एच0सी कुलदीप सिह न0 2355/गुरुग्राम के थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम भेजी जा रही है अभियोग स्पेशल रिपोर्ट की श्रेणी मे अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट, उच्च अधिकारीयो की सेवा मे भिजवाई जावे । मन उप निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अभियोग का अनुसंधान करने मे सक्षम नही है अत: अभियोग की मिशल आगामी अनुसंधान के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त करके दी जावे । जांच की फाईले साथ संलग्न है । SD जयचन्द SI, उप निरीक्षक जयचन्द, रा0चौ0ब्यूरो उप केन्द्र रेवाडी, दिनांक 19.7.2022 at 1.40 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब नारनौल बदस्त

ई0एच0सी कुलदीप सिह न0 2355/गुरुग्राम के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश निरीक्षक नवल किशोर रा0 चौ0 ब्यूरो उपकेन्द्र नारनौल के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा ई0एच0सी कुलदीप सिह न0 2355/गुरुग्राम के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं. 2** में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** nawal kishore **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 511 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/01/1982				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1982				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	01/01/1977				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)